IJFANS INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD AND NUTRITIONAL SCIENCES
ISSN PRINT 2319 1775 Online 2320 7876
Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved UGC CARE Listed (Group -I) Journal Volume 11, Iss 11, 2022

गोंदिया जिले में किसानों की आय और कृषि स्थिरता बढ़ाने में कृषि उपज बाजार समितियों की भूमिका

अमित वसंत देवानी[1], डॉ. नरेंद्र एस. बागडे[2]

[1]शोध विद्यार्थी , डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्लू. एस. आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नागपुर

[2]सह - प्राध्यापक / उप - प्राचार्य , डॉ. मधुकरराव वासनिक पी.डब्लू. एस. आर्ट, कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज, नागपुर

सारांश:

कृषि उपज बाजार समिति (APMC) कृषि उपज के विपणन को विनियमित करके और किसानों के हितों की रक्षा करके भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में, जहाँ कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, कृषि उपज बाजार समिति मूल्य खोज, बाज़ार पहुँच और आय सृजन के लिए महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करते हैं। यह शोध पत्र किसानों की आय बढ़ाने और क्षेत्र में कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने में कृषि उपज बाजार समिति की भूमिका का पता लगाता है। स्थानीय किसानों के सर्वेक्षण और कृषि उपज बाजार समिति के रिकॉर्ड के विश्लेषण सहित मिश्रित-विधि दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, अध्ययन बाज़ार के बुनियादी ढाँचे, मूल्य तंत्र और नीति हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता की जाँच करता है। निष्कर्ष बताते हैं कि जहाँ कृषि उपज बाजार समिति ने बेहतर मूल्य प्राप्ति और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में योगदान दिया है, वहीं अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, विलंबित भुगतान एवं जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। अध्ययन जैविक खेती, कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं और किसान शिक्षा के लिए समर्थन के माध्यम से स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में कृषि उपज बाजार समिति की उभरती भूमिका पर भी प्रकाश डालता है। यह अध्ययन गोंदिया जिले में समावेशी विकास और सतत कृषि विकास के लिए कृषि उपज बाजार समिति के संचालन को मजबूत करने की सिफारिशों के साथ समाप्त होता है।

मुख्य शब्द: कृषि उपज बाजार समिति , किसान आय, कृषि स्थिरता, बाजार सुधार, गोंदिया जिला, कृषि विपणन

परिचय:

भारत में कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाता है। हालाँकि, कई किसान अभी भी आय की असुरक्षा और अस्थिर कृषि प्रथाओं का सामना करते हैं, विशेष रूप से महाराष्ट्र के गोंदिया जैसे अर्ध-ग्रामीण एवं आदिवासी बहुल जिलों में। इन क्षेत्रों में अक्सर बाजारों तक सीमित पहुँच, कम कीमत प्राप्ति, बिचौलियों पर उच्च निर्भरता और आधुनिक कृषि प्रथाओं के बारे में जागरूकता की कमी होती है।

भारत सरकार ने कृषि विपणन को विनियमित करने, निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को सुनिश्चित करने और किसानों के शोषण को रोकने के लिए कृषि उपज बाजार समितियों की अवधारणा पेश की। कृषि उपज बाजार समिति कृषि अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गए हैं, जो कृषि वस्तुओं के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए बुनियादी ढाँचा समर्थन, तौल प्रणाली, भंडारण सुविधाएँ, बाज़ार यार्ड और कानूनी ढाँचे प्रदान करते हैं।

गोंदिया जिला, जिसे "महाराष्ट्र का चावल का कटोरा" भी कहा जाता है, कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ धान मुख्य फसल है, जो बड़े भूभाग पर उगाई जाती है। जिले में कई कृषि उपज बाजार समिति की मंडियाँ हैं, जैसे कि तिरोडा और अर्जुनी मोरगाँव, जो स्थानीय किसानों के लिए प्रमुख व्यापार केंद्र के

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

रूप में काम करते हैं। इन कृषि उपज बाजार समिति का उचित संचालन बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके, अनियमित निजी व्यापारियों पर निर्भरता को कम करके और आवश्यक विपणन सेवाओं तक पहुँच प्रदान करके किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है।

कृषि उपज बाजार समिति को पर्यावरण के अनुकूल और संसाधन-कुशल कृषि विधियों को बढ़ावा देने वाले संधारणीय कृषि के प्रवर्तक के रूप में भी देखा जाता है। हालाँकि, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे, दूरदराज के गाँवों के लिए सीमित बाज़ार पहुँच, समय पर भुगतान तंत्र की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कारकों के कारण उनका प्रदर्शन क्षेत्रों में काफी भिन्न होता है।

इस अध्ययन का उद्देश्य गोंदिया जिले में किसानों की आय बढ़ाने और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में कृषि उपज बाजार समिति की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच करना है। एक ऐसे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके जो कृषि की दृष्टि से समृद्ध है, लेकिन आर्थिक रूप से अविकसित है, यह शोध बाज़ार सुधारों, ग्रामीण आय वृद्धि और संधारणीय कृषि पर व्यापक चर्चा में योगदान देता है।

शोध के उद्देश्य:

१) गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितियों की संरचना और कार्यप्रणाली की जांच करना।
२) क्षेत्र में किसानों की आय पर कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभाव का आकलन करना।
३) टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में कृषि उपज मंडी समितियों की भूमिका का विश्लेषण करना।
४) किसान कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने में कृषि उपज मंडी समितियों के सामने आने वाली चुनौतियों और सीमाओं की पहचान करना।
५) गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितियों की प्रभावशीलता को मजबूत करने के लिए नीतिगत उपाय और सुधार सुझाना।

साहित्य समीक्षा:

कई विद्वानों ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने में कृषि उपज मंडी समितियों की भूमिका का व्यापक अध्ययन किया है। आचार्य (२००४) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कृषि उपज मंडी समितियों किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचाने और उचित मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण संस्थानों के रूप में काम करते हैं। चंद (२०१२) ने कृषि उपज मंडी समितियों की नियामक चुनौतियों पर चर्चा की और इन बाजारों को अधिक किसान-अनुकूल बनाने के लिए उदारीकरण और बुनियादी ढाँचे में सुधार का सुझाव दिया। महाराष्ट्र के अपने अध्ययन में बेर्डे और काले (२०१५) ने पाया कि कृषि उपज मंडी समितियों मंडियों का उपयोग करने वाले किसानों को निजी व्यापारियों पर निर्भर रहने वालों की तुलना में बेहतर मूल्य प्राप्त हुए, हालांकि उन्हें अभी भी भुगतान में देरी और अपर्याप्त भंडारण जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गुलाटी, जैन और सतीजा (२०१४) ने आय और स्थिरता दोनों को बेहतर बनाने के लिए ई-ट्रेडिंग और निजी क्षेत्र की भागीदारी जैसे बाजार सुधारों की वकालत की। सिंह (२०१६) ने इस बात पर जोर दिया कि कुशल कृषि उपज मंडी समितियों प्रणालियाँ कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम कर सकती हैं और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार कर सकती हैं, खासकर अगर भंडारण और डिजिटल बुनियादी ढाँचे का समर्थन किया जाए। देशमुख और कुलकर्णी (२०१९) ने महाराष्ट्र के भीतर क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित किया और आदिवासी और सीमांत किसानों का समर्थन करने के लिए गोंदिया जैसे पिछड़े जिलों में कृषि उपज मंडी समितियों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। शर्मा (२०२०) ने किसानों के बीच मिश्रित धारणाओं की

रिपोर्ट की, कृषि उपज मंडी समितियों के बाजारों में बेहतर मूल्य प्राप्ति पर ध्यान दिया, लेकिन सीमित पहुँच और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों पर भी प्रकाश डाला।

शोध पद्धति:

अध्ययन में महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि स्थिरता को बढ़ावा देने में कृषि उपज बाजार समितियों की भूमिका की जांच करने के लिए मिश्रित-पद्धति अनुसंधान रचना का उपयोग किया गया है। शोध प्रमुख कृषि उपज बाजार समिति के बाजारों और १५० किसानों के नमूने पर केंद्रित है। प्रश्नावली, साक्षात्कार और क्षेत्र अवलोकन के माध्यम से आँकड़े एकत्र किए गये है।

गोंदिया जिले में किसानों की आय और कृषि स्थिरता बढ़ाने में कृषि उपज बाजार समितियों की भूमिका:

धान की खेती के तहत भूमि के एक बड़े हिस्से के साथ गोंदिया जिले में अधिकांश आबादी के लिए कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है। हालांकि, किसानों को अक्सर कम कीमत प्राप्ति, बाजार शोषण, बुनियादी ढांचे की कमी और अस्थिर कृषि प्रथाओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कृषि उपज बाजार समितियां किसानों के हितों की रक्षा और समग्र ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि विपणन को व्यवस्थित और विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितियों एक विनियमित और पारदर्शी बाजार मंच प्रदान करके उत्पादकों और खरीदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। किसानों की आय बढ़ाने में उनके प्रमुख योगदानों में उचित और पारदर्शी मूल्य निर्धारण, बिचौलियों का उन्मूलन, समय पर और सुरक्षित भुगतान, समर्थन बुनियादी ढाँचा, सरकारी खरीद तक पहुँच, बाजार संबंधों को मजबूत करना, कृषि स्थिरता को बढ़ावा देना, जैविक और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करना, फसल विविधीकरण की सुविधा, जागरूकता एवं क्षमता निर्माण और कटाई के बाद का प्रबंधन शामिल हैं।

कृषि उपज मंडी समितियों डिजिटल और तकनीकी एकीकरण को भी बढ़ावा देते हैं, मोबाइल अलर्ट और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय के बाजार मूल्य, वर्षा पैटर्न, मौसम पूर्वानुमान और कमोडिटी रुझान प्रदान करते हैं। वे लेन-देन में देरी और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली और मोबाइल भुगतान प्रणाली की सुविधा भी देते हैं।

गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितिया ग्रामीण कृषि के आर्थिक और पारिस्थितिक परिदृश्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उचित विपणन मंच प्रदान करके, बिचौलियों को खत्म करके, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और टिकाऊ खेती का समर्थन करके, कृषि उपज मंडी समितिया किसानों की आय बढ़ाने और दीर्घकालिक कृषि लचीलापन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हालांकि, कृषि उपज मंडी समितियों के प्रभाव को आधुनिकीकरण, डिजिटल एकीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों की अधिक भागीदारी के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है। जागरूकता, पहुंच और प्रशासन में अंतर को दूर करना कृषि उपज मंडी समितियों को गोंदिया की कृषि अर्थव्यवस्था में वास्तव में परिवर्तनकारी संस्थान बनाने के लिए आवश्यक होगा।

गोंदिया जिले और कृषि उपज मंडी समितियों के मंडियों की रूपरेखा:

महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित गोंदिया जिला, अपनी मुख्य रूप से कृषि प्रधान आबादी के कारण "महाराष्ट्र का चावल का कटोरा" के रूप में जाना जाता है। इस जिले में आठ तहसील और एक महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी है, जो इसे ग्रामीण और कृषि विकास कार्यक्रमों के लिए एक प्रमुख लक्ष क्षेत्र बनाती है। कृषि गोंदिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें ८०% से अधिक कार्यबल खेती और

संबद्ध गतिविधियों में लगे हुए हैं। जिले में लगभग १२०० मिमी औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो मुख्य रूप से मानसून के कारण होती है, जो पानी की अधिक खपत वाली फसलों की खेती का समर्थन करती है। चावल (धान) मुख्य फसल है, जो कुल खेती योग्य भूमि के लगभग ७०% हिस्से पर कब्जा करती है। अन्य फसलों में दालें, तिलहन, गेहूं, सब्जियां और छोटे बाजरा शामिल हैं।

कृषि उपज बाजार समितियां गोंदिया में किसानों के लिए कृषि विपणन और मूल्य प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रमुख कृषि उपज मंडी समितिया गोंदिया शहर, तिरोडा और अर्जुनी मोरगांव में स्थित हैं, जो कृषि और वन उपज के एकत्रीकरण, नीलामी और बिक्री के लिए नोडल पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं। ये कृषि उपज मंडी समितिया न केवल कृषि व्यापार के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, बल्कि एक संरचित बाजार वातावरण प्रदान करके, बेहतर कटाई के बाद की प्रथाओं को बढ़ावा देकर और फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को प्रोत्साहित करके ग्रामीण आर्थिक गतिविधि को सक्षम करने वाले के रूप में भी कार्य करती हैं।

किसानों की आय बढ़ाने में कृषि उपज मंडी समितियों की भूमिका:

भारत में कृषि उपज बाजार समिति प्रणाली ने गोंदिया जिले के छोटे और सीमांत किसानों के लिए विपणन परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। सुधारों और परिचालन सुधारों ने किसानों को कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ पहुँचाए हैं, जिनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य आश्वासन, बिचौलियों का कम शोषण, एक पारदर्शी नीलामी प्रणाली, बाजार की बुनियादी संरचना सुविधाएँ और बेहतर कटाई के बाद का प्रबंधन शामिल हैं।

प्रत्यक्ष लाभों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आश्वासन, बिचौलियों का कम शोषण और एक पारदर्शी नीलामी प्रणाली शामिल हैं। कृषि उपज मंडी समितियों इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, भंडारण गोदाम और ग्रेडिंग एवं छंटाई की सुविधा जैसी आवश्यक भौतिक अवसंरचना भी प्रदान करते हैं, जो बेहतर मूल्य प्राप्ति और कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में योगदान करते हैं। अप्रत्यक्ष लाभों में विनियमित प्राप्तियों के माध्यम से ऋण तक पहुँच, बेहतर सौदेबाजी की शक्ति और बेहतर कटाई के बाद प्रबंधन शामिल हैं।

गोंदिया जिले में एक क्षेत्र-स्तरीय मूल्यांकन ने कृषि उपज मंडी समितियों की भूमिका के बारे में कृषक समुदाय से मिश्रित लेकिन काफी हद तक सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ प्रकट कीं। ६८% किसानों ने कृषि उपज मंडी समितियों सुधारों के कार्यान्वयन के बाद आय में वृद्धि की सूचना दी, जबकि २५% अभी भी भुगतान में देरी या मंडी पहुँच जैसे मुद्दों के कारण निजी व्यापारियों पर निर्भर हैं। कुछ किसानों ने छोटे कृषि उपज मंडी समितियों में सीमित खरीदार प्रतिस्पर्धा पर चिंता व्यक्त की, जो कभी-कभी नीलामी प्रक्रिया के बावजूद कम मूल्य प्राप्ति की ओर ले जाती है।

कृषि उपज मंडी समितिया मूल्य आश्वासन, अवसंरचनात्मक समर्थन और बाजार विनियमन के माध्यम से गोंदिया जिले में किसान आय बढ़ाने में एक बहुआयामी भूमिका निभाती हैं। हालांकि, समय पर भुगतान, दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर पहुँच और अधिक डिजिटल अपनाने को सुनिश्चित करने के लिए और कदम उठाने की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे, क्षमता निर्माण और बेहतर प्रशासन में निरंतर निवेश से पूरे क्षेत्र में किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने में कृषि उपज मंडी समितियों की पूरी क्षमता को उजागर करने में मदद मिल सकती है।

गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितियों के सामने चुनौतियाँ:

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

कृषि उपज मंडी समितियोंने गोंदिया जिले में कृषि विपणन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं। इनमें अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाएँ, नौकरशाही बाधाएँ और भुगतान में देरी, सीमित डिजिटल अवसंरचना एवं वास्तविक समय मूल्य निर्धारण जानकारी, पारंपरिक व्यापारियों का प्रभुत्व एवं राजनीतिक हस्तक्षेप, और दूरदराज के आदिवासी किसानों तक खराब पहुँच शामिल हैं।

अपर्याप्त भंडारण और परिवहन सुविधाओं के कारण किसान फसल कटाई के तुरंत बाद उपज बेच देते हैं, अक्सर कम कीमतों पर। गाँवों से बाज़ार तक खराब परिवहन संपर्क रसद लागत और देरी को बढ़ाता है, जिससे किसानों की शुद्ध आय कम होती है और दूरदराज के या अधिक लाभदायक बाजारों तक पहुँच सीमित होती है। नौकरशाही देरी, विशेष रूप से एमएसपी खरीद की प्रक्रिया में, अक्सर भुगतान में देरी का कारण बनती है, जो डिजिटल भुगतान प्रणालियों की कमी और दस्तावेज़ीकरण में प्रक्रियात्मक अक्षमताओं से और भी जटिल हो जाती है।

सीमित डिजिटल अवसंरचना किसानों को व्यापक बाजारों तक पहुँचने और विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों की तुलना करने से रोकती है, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति और मूल्य प्राप्ति कम होती है। पारंपरिक व्यापारियों का प्रभुत्व और राजनीतिक हस्तक्षेप इन संस्थाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को और कमज़ोर करता है, जिससे बाज़ार की निष्पक्षता प्रभावित होती है और नए खरीदार हतोत्साहित होते हैं।

दूरदराज के आदिवासी किसानों को कृषि उपज बाजार समिति सुविधाओं तक पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें खराब सड़क संपर्क, मंडी संचालन के बारे में जागरूकता की कमी और स्थानीय खरीद केंद्रों की अनुपस्थिति शामिल है। नतीजतन, कई लोग गाँव-स्तर के एग्रीगेटर्स और अनियमित निजी बाजारों पर निर्भर रहते हैं, जहाँ उन्हें एमएसपी से काफ़ी कम कीमत मिलती है।

गोंदिया जिले में कृषि उपज बाजार समिति की क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए, बुनियादी ढाँचे को बेहतर बनाने, डिजिटल एकीकरण, खरीद केंद्रों के विकेंद्रीकरण और एकाधिकार प्रथाओं और राजनीतिक प्रभाव को रोकने के उपायों सहित प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है। केवल ऐसे हस्तक्षेपों के माध्यम से ही कृषि उपज बाजार समिति गोंदिया की कृषि विकास यात्रा में वास्तव में किसान-केंद्रित संस्थाएँ बन सकती हैं।

परिणाम:

गोंदिया जिले में कृषि उत्पादकों के बाजारों के प्रदर्शन और प्रभाव का विश्लेषण क्षेत्र सर्वेक्षण, हितधारक साक्षात्कार और द्वितीयक जानकारी के विश्लेषण के माध्यम से किया गया है। कृषि उपज बाजार समिति कृषि उपज, विशेष रूप से धान के लिए मूल्य स्थिरता प्रदान करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव किसान श्रेणियों में भिन्न होता है। मध्यम और बड़े पैमाने के किसानों को बेहतर जागरूकता, परिवहन तक पहुँच और सौदेबाजी की क्षमता से अधिक लाभ होता है, जबकि छोटे और सीमांत किसान अक्सर बुनियादी ढाँचे और सूचना संबंधी बाधाओं के कारण सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए सीमित लाभ भी स्पष्ट हैं, क्योंकि कई अभी भी एमएसपी और मंडी प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी, कृषि उपज बाजार समिति में भुगतान में देरी और पारंपरिक प्रथाओं से जुड़ी सांस्कृतिक और तार्किक जड़ता के कारण निजी व्यापारियों, स्थानीय बिचौलियों या गाँव-स्तरीय एग्रीगेटर्स पर निर्भर हैं। किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से स्थिरता आगे

Research Paper © 2012 IJFANS. All Rights Reserved

बढ़ रही है, जो किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करते हैं, पर्यावरण के अनुकूल उपज के सामूहिक विपणन की सुविधा प्रदान करते हैं और मोनोकल्चर के चक्र को तोड़ने के लिए फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करते हैं।

आँकड़ों के विश्लेषण और किसानों की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि कृषि उपज मंडी समितियों तक पहुँच और कृषि आय में वृद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, जिसमें किसानों ने स्थानीय निजी बाजारों की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्ति, बेहतर बाजार संपर्कों के माध्यम से बेहतर आय स्थिरता और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के अधिक प्रभावी उपयोग को दर्शाया है। निष्कर्ष के तौर पर, जबकि गोंदिया जिले में कृषि उपज मंडी समितियों बेहतर मूल्य प्राप्ति और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं, उनके लाभ समान रूप से वितरित नहीं हैं। बुनियादी ढाँचे की कमी को दूर करना, हाशिए पर पड़े समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना और कृषि उपज मंडी समितियों की डिजिटल और भौतिक पहुँच का विस्तार करना आने वाले वर्षों में इन संस्थानों को अधिक समावेशी और प्रभावशाली बना सकता है।

चर्चा:

शोध में गोंदिया जिले की कृषि अर्थव्यवस्था को आकार देने में कृषि उपज मंडी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। कृषि उपज बाजार समितिने पारदर्शी नीलामी तंत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) नीति के कार्यान्वयन और विनियमित खरीदार भागीदारी के माध्यम से धान जैसी प्रमुख फसलों के लिए मूल्य स्थिरता प्रदान की है। हालाँकि, यह लाभ मध्यम और बड़े किसानों के लिए अधिक सुलभ है, जो मंडी संचालन में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं।

छोटे और सीमांत किसानों के बीच सीमित पहुँच और जागरूकता भी देखी जाती है, क्योंकि उनमें अक्सर कृषि उपज बाजार समिति प्रक्रियाओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं और e-NAM जैसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में आवश्यक जागरूकता की कमी होती है। इसका परिणाम उपज के लिए कम कीमत और औपचारिक बाज़ार संरचनाओं से बहिष्करण होता है। लक्षित जागरूकता अभियानों और अंतिम-मील सेवा वितरण के माध्यम से इस अंतर को संबोधित करना समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) द्वारा सतत कृषि प्रथाओं को भी संचालित किया जा रहा है, जो जैविक खेती शुरू करने, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने और जलवायु-लचीले तरीकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसान उत्पादक संगठनों के साथ सहयोग करने वाली कृषि उपज मंडी समितियों समर्पित खरीद प्रणालियों और प्रीमियम मूल्य निर्धारण मॉडल के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल खेती को प्रोत्साहित करने और समर्थन देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

कृषि उपज मंडी समितियों की सेवाओं तक पहुँच किसानों की आय में वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि नियमित उपयोगकर्ताओं को बेहतर मूल्य खोज, बिचौलियों द्वारा कम शोषण और बेहतर कटाई के बाद की सेवाओं का लाभ मिलता है। कृषि उपज मंडी समितियों के नेटवर्क को मजबूत करना और वंचित क्षेत्रों, विशेष रूप से आदिवासी और वन क्षेत्रों तक उनकी पहुँच बढ़ाना, गोंदिया जिले में किसानों की आजीविका बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देने में कृषि उपज मंडी समितियों की परिवर्तनकारी क्षमता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

निष्कर्ष:

Research Paper **© 2012 IJFANS. All Rights Reserved**

गोंदिया जिले में कृषि उपज बाजार समितियों ने निष्पक्ष व्यापार, मूल्य आश्वासन और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने विनियमित विपणन तंत्र, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की है और शोषक बिचौलियों पर उनकी निर्भरता कम की है। हालांकि, कृषि उपज मंडी समितियों के लाभ सभी किसान श्रेणियों में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, सीमित जागरूकता, रसद बाधाओं और पारंपरिक विपणन चैनलों के कारण छोटे और सीमांत किसान अक्सर हाशिये पर रह जाते हैं। इस अंतर को पाटने के लिए, किसान शिक्षा, अंतिम-मील जुड़ाव और मजबूत संस्थागत समर्थन में प्रयासों की आवश्यकता है। कृषि उपज मंडी समितियों ने किसान उत्पादक संगठनों के साथ सहयोग करके, जैविक और विविध खेती को बढ़ावा देकर और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देकर कृषि स्थिरता को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। हालांकि, इन सुधारों की सफलता के लिए मजबूत कार्यान्वयन, स्थानीय अनुकूलन और समावेशी नीतियां आवश्यक हैं। भविष्य के लिए तैयार कृषि उपज मंडी समितियों प्रणाली को उचित मूल्य की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, टिकाऊ, न्यायसंगत और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि विकास का समर्थन करना चाहिए।

संदर्भ:

1) Acharya, S.S. (1988). Agricultural production market & price policy in India. Mittal Publication.
2) Acharya, S.S., & Agarwal, N.L. (1987). Agricultural marketing in India. Oxford & IBH.
3) Aditya, K.S., Subash, S.P., Praveen, K.V., Nithyashree, M.L., Bhuvana, N., & Sharma, A. (2017). Awareness of minimum support price and its impact on diversification decision of farmers in India. Asia and the Pacific Policy Studies, 4(3), 514-526.
4) Agarwal, P., Singh, R., & Singh, O.P. (2019). New agricultural marketing system: Awareness, status, perceptions and impact in Uttarakhand. Indian Journal of Agricultural Marketing, 33(1), 44-53.
5) Basantaray, A.K., & Nancharaiah, G. (2017). Relationship between crop diversification and farm income in Odisha – An empirical analysis. Agricultural Economics Research Review, 30(Conference Number), 45-88.
6) Chand, R. (2017). Doubling farmers' income – Rationale, strategy, prospects, and action plan. NITI Policy Paper No. 1/2017, Niti Aayog, Government of India, New Delhi.
7) Das, R. (2017). Raising farm income in India: What does a simultaneous quantile regression approach tell? Agricultural Economics Research Review, 30(Conference Number), 257-268.
8) Food and Agriculture Organisation (FAO). (2012). Guiding principles for responsible contract farming operations. FAO.
9) Food and Agriculture Organisation (FAO) & IISD. (2018). Model agreement for responsible contract farming, with commentary. FAO.
10) Government of India. (2017). Model Act (The State/UT Agricultural Produce and Livestock Marketing (Promotion and Facilitation) Act, 2017, April, MoAFW, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers' Welfare, Government of India.
11) Haque, T., & Joshi, P.K. (2018). Price deficiency payments and minimum support prices – A study of selected crops in India. Economic and Political Weekly, 53(20), 53-60.

Research Paper **© 2012 IJFANS. All Rights Reserved**

12) Mandal, S., Burman, D., Mandal, U.K., Lama, T.D., Maji, B., & Sharma, P.C. (2017). Challenges, options, and strategies for doubling farmers' income in West Bengal – Reflections from coastal region. Agricultural Economics Research Review, 30(Conference Number), 89-100.
13) Melese, A.T. (2012). Contract farming: Business models that maximize the inclusion of and benefits for smallholders in the value chain. Rev. Dr. Unif., 291-306.
14) Pavithra, S., Gracy, C.P., Saxena, R., & Patil, G.G. (2018). Innovations in agricultural marketing: A case study of e-tendering system in Karnataka, India. Agricultural Economics Research Review, 31(1), 53-64.
15) Prakash, P., Jaganathan, D., Sivakumar, P.S., Immanuel, S., Kishore, P., & Kumar, P. (2018). Does APMC market increase farmer's income? Evidence from value chain analysis of sweet potato in Karnataka. Indian Journal of Agricultural Economics, 73(3), 342-357.
16) Satyasai, K.J.S., & Mehrotra, N. (2016). Enhancing farmers' income. NABARD Foundation Day Seminar, July 12.
17) Sekhar, C.S.C., Tripathi, A., & Bhatt, Y. (2018). Ensuring MSP to farmers – Are deficiency payment an option? Economic and Political Weekly, 53(51), 50-57.
18) Sekhar, C.S.C., & Bhatt, Y. (2019). Electronic national agricultural market (e-NAM): A review of performance and prospects in Haryana. Agricultural Situation in India, 75(10), 39-44.
19) Singh, S. (2016). Arthiyas in Punjab's APMC mandis: Inadequate analysis and solutions. Economic and Political Weekly, 51.